के.सं.वि./परीक्षा/वि.वा./2022/ 867

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन
56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

दिनांक :- 22.02.2022

परीक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10.02.2022 को आयोजित विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष मण्डल के उपवेशन में विद्यावारिधि के शोधप्रबन्ध की मूल्यांकन प्रक्रिया में अपेक्षित सुधार हेतु प्रस्तावित मदों के माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदनोपरान्त एवं विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद के अनुसमर्थन की प्रत्याशा में अधोलिखित बिन्दुओं की तत्काल प्रभाव से अनुपालना अपेक्षित है-

1. शोध वाक् परीक्षा के मण्डल का अधोलिखित अनुसार गठन किया जाता है-
   1. संकायाध्यक्ष
   2. परिसर निदेशक
   3. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष
   4. बाह्य परीक्षक
   5. मार्गदर्शक/संयोजक
2. शोध वाक् परीक्षा मण्डल के अध्यक्ष सम्बन्धित संकायाध्यक्ष रहेंगे, जिनकी अनुपस्थिति में परिसर निदेशक तथा परिसर निदेशक की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जायेगी।
3. शोध वाक् परीक्षा में मण्डल के कम-से-कम तीन सदस्यों (विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, बाह्य परीक्षक एवं मार्गदर्शक) की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।
4. वाक् परीक्षा का संयोजन सम्बन्धित शोधच्छात्र के मार्गदर्शक द्वारा किया जायेगा।
5. शोधप्रबन्ध का मूल्यांकन दो बाह्य परीक्षकों के अतिरिक्त सम्बन्धित शोधच्छात्र के मार्गदर्शक द्वारा भी किया जायेगा।
6. मुक्त वाक् परीक्षा में मण्डल के सदस्यों के अतिरिक्त शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण, विभाग के संकाय के सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी एवं इस विषय में रुचि लेने वाले अन्य विशेषज्ञ/शोधकर्ता भी भाग ले सकते हैं। समस्त उपस्थितों का उपस्थिति पत्रक भी वाक् परीक्षा प्रतिवेदन के साथ प्रेषित किया जाना आवश्यक रहेगा।
7. शोधच्छात्र द्वारा शोधप्रबन्ध की कुल चार प्रतियाँ मूल्यांकन हेतु सम्बन्धित परिसर को समर्पित की जायेंगी।
8. सम्बन्धित परिसर शोधच्छात्र द्वारा समर्पित शोधप्रबन्ध की एक प्रति सम्बन्धित मार्गदर्शक को एवं शेष तीन प्रतियाँ परीक्षा विभाग को प्रेषित करेगा।
9. शोधप्रबन्ध के साथ शोधप्रबन्ध की सॉफ्ट कॉपी एवं पीडीएफ को निर्दिष्ट प्रारूप (संलग्न-1) में जमा करवाना होगा।
10. शोधच्छात्र शोधप्रबन्ध समर्पण के समय शोधप्रबन्ध की सॉफ्ट कॉपी को Pen drive में उपलब्ध करायेंगे, जिसका प्रेषण परिसर द्वारा जाँचोपरान्त ही परीक्षा विभाग को किया जाये।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी।

पवन 24/02/22
(प्रो. पवन कुमार)
परीक्षा नियन्त्रक (प्र.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. समस्त संकायाध्यक्ष, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली
2. समस्त निदेशक, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर एवं शोध संस्था- अनुरोध है कि परिसर/संस्था के समस्त शोध मार्गदर्शक एवं शोधछात्रों को उपर्युक्त विषय से अवगत करायेंगे।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली
4. कुलपति कार्यालय
5. कुलसचिव कार्यालय
6. प्रभारी शोध एवं प्रकाशन
7. उप-निदेशक (शैक्षणिक)
8. सम्बन्धित सञ्चिका

संलग्न – 01

Name

01_title.pdf
02_declaration.pdf
03_certificate.pdf
04_acknowledgement.pdf
05_content.pdf
06_list of graph and table.pdf
07_chapter 1.pdf
08_chapter 2.pdf
09_chapter 3.pdf
10_chapter 4.pdf
11_bibliography.pdf
12_annexure.pdf
80_Recommendation.pdf

Scanned by CamScanner